ग्राम पंचायत मुल्थान, विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा, हि• प्र• –175013 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क)ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मुल्थान, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती दुर्गेश	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री यशपाल	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री वीर सिंह	01-04-2022 से 25 -05-2022
2	श्री पंकज राणा	26 -05-2022 से 31-03-2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री अमर सिंह	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत मुल्थान के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	7.30
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	24.17
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.22
4	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	2.10
5	9.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	3.27
7	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख प्रस्तुत न करना	5.23
8	12	ऑनलाईन रोकड़ बही में समायोजित (Adjustment voucher) व अन्य आय–व्यय प्रविष्टियों की बैंक में पुष्टि न होना	2.97
9	13.1	निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत/वास्तविक प्राप्त राशि से अधिक भुगतान करना	4.24
10	13.2	निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत/वास्तविक प्राप्त राशि से अधिक/गलत भुगतान करना	0.07

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/61 दिनांक–27.01.2025 द्वारा अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करते हुये केवल 8 पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 08 पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष 08 पैरों के साथ– साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपतियों पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

(1)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	03	निर्णीत	मुख्यालय से पुष्टि करने उपरांत
2.	4,4.1	अनिर्णीत	–
3.	05	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
4.	06	निर्णीत	राशि ₹5600 की वसूली रसीद संख्या 172384 दिनांक 28.03.2024 द्वारा, खाता संख्या 2458000100001100 में जमा करवा दी गई है।
5.	07	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
6	08	अनिर्णीत	–
7	09	अनिर्णीत	–
8	10	अनिर्णीत	–
9	11	अनिर्णीत	–
10	12	अनिर्णीत	–
11	13	अनिर्णीत	–
12	14	निर्णीत	राशि ₹1613 की वसूली रसीद संख्या 172384 दिनांक 28.03.2025 द्वारा खाता संख्या 2458000100001100 में जमा करवा दी गई है।
13	15	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
14	16	अनिर्णीत	–
15	17	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
16	18	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत मुल्थान के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.03.2025 से 29.03.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	11/2022	05/2022
2023—24	03/2024	01/2024

अस्वीकरण (Disclaimer):— वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेष राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/198 दिनांक—29.03.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/184 दिनांकः—24.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	667757.31	1824496.00	2492253.31	1980058.21	512195.10
2023-24	512195.10	1650525.88	2162720.98	1382374.00	780346.98

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2564250.25	2669373.90	5233624.15	2351418.18	2882205.97
2023-24	2882205.97	2615474.40	5497680.37	3080576.40	2417103.97

कुल योग (1+2) 780346.98+2417103.97 =**3197450.95**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष **₹31,97,450.95** तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" अनुसार अन्तशेष **₹24,67,598.23** से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वयं स्रोत/ पांचवा वित्त/ एस .डी.आर.एफ/आर.जी.एस.ए/लाडा /वी.के.वी.एन.वाई/बी.ए.एस.पी.	पी.एन.बैंक मुल्थान	2458000100001100	998460.26
2	स्वयं स्रोत	के. सी .सी. बैंक बैजनाथ	20016007851	391965.97
3	14वां वितायोग	एच.जी. बैंक बरोट	87411700074393	0
4	15वां वितायोग/ जिला परिषद	एच.जी. बैंक बरोट	87410100060909	1077152

	/पचायत समिति			
5	हस्तगत शेष (स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			20
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹2467598.23
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹3197450.95
पंचायत के बैंक खातों/नकद का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹2467598.23
अन्तरः–				729852.72

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेषों में राशि ₹7.30 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मुल्थान द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹729852.72/- का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/186 दिनांकः–25.03.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01/2025 दिनांकः–29.03.2025 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/19 से 03/21 के **पैरा 4.1** में दर्ज अंकेक्षणापत्ति नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज बैंक खाते न खोलने बारेः—

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है।

सचिव ग्राम पंचायत मुल्थान द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट ''3''** व बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वःस्त्रोत, व अनुदान पाचवां वित, BASP,RGSA,SDRF,VKVNY,LADA आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 2458000100001100 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता एवं नियमों/निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/188 दिनांकः–25.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 01/2025 दिनांकः–29.03.2025 द्वारा अवगत करवाया कि शीर्ष वाईज खातो का अनुसंधारण दिया कर दिया जायेगा।

अतः आज दिन तक उक्त निर्देशानुसार स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही बैंक खातो का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये अथवा इस सम्बन्ध में पंचायत विभाग के प्रशासन से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

(ङ.) लेखा खाता/खाता बही तैयार न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते, कुछेक कार्यों को छोड़कर तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यों हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ था तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:—

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	बिल स0,मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	14वां वित	21/23.05. 2022	मस्ट्रोल–निल	कार्य पूर्ण पचांयत घर मुल्थान वार्ड–2	9900
2	बी.ए.एस. पी	94,97/04. 01.2024	–	निर्माण दो कमरे व सुरक्षा दीवार जी.पी.एस मुल्थान वार्ड–3	44500
3	15वां वित	95/16.01. 2024	मस्ट्रोल –16/5835	मुरम्मत शौचालय जी.एस. एस.एस मुल्थान वार्ड–3 वार्ड 3	12784

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानों से प्राप्त की गई आय का भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों व व्यय की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/197 दिनांकः–29.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 01/2025 दिनांकः–29.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणवधि के दौरान ₹4,79,178.31 से ₹9,98,460.26 तक की राशि शेष थी। इस

चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना सख्यां राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/197 दिनांकः 29.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 01/2025 दिनांक 29.03.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹24.17/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/184 दिनांकः–24.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹24,17,103.97** की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	बी.ए.एस.पी	31.03.2024	272255
2	13वॉं वित्तायोग	31.03.2024	336264
3	14वॉं वित्तायोग	31.03.2024	739952.97
4	15वॉं वित्तायोग/पी.एस./जेड.पी	31.03.2024	1068632
		कुल जोड	**2417103.97**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/187 दिनांक–25. 03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–

01/2025 दिनांकः—29.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान उपयोग/ व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः—

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.22 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/184 दिनांकः—24.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹21800**/— की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणो के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/189 दिनांकः—26.03.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—01/2025 दिनांकः—29. 03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा उक्त से सम्बन्धित मांग व संग्रह रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर को भी तैयार करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 स्वः स्त्रोत सम्पतिकर/गृहकर से प्राप्त आय राशि ₹500/- को बैंक में जमा न करवाने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बन्धित बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

आय चयनित मास 11/2022 की स्वः स्त्रोत सम्पत्ति कर/गृहकर की रसीद बुकों के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार ₹500/- ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में जमा नहीं करवाये गये थे, फलस्वरूप पंचायत स्वः स्त्रोत की आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता व यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैः—

क्र0सं0	रसीद संख्या	प्राप्त आय (₹)	बैंक में जमा (₹)	कम जमा(₹)
1	433592 से 433600	900	33750	500
2	434601 से 434700	10000		
3.	434701 से 434800	9900		
4.	434801 से 434900	10000		
5.	434901 से 434935	3450		
	कुल	**34250**	**33750**	**500**

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/189 दिनांकः—26.03.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या— 01/2025 दिनांकः—29.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त सम्पतिकर/गृहकर की कम जमा करवाई गई राशि को सभा निधि के खाते में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः स्वः स्त्रोत सम्पतिकर/गृहकर के रूप में प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इस राशि को निधि खातें में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण

विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

8 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹425/– को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः–04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/184 दिनांकः–24.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत मुल्थान द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान राशि ₹425/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे न तो सरकारी कोष में और न ही पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था, जिससे कि सरकारी कोष को प्राप्त आय की दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/190 दिनांकः–26.03.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत मुल्थान के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–01/2025 दिनांकः–29.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा नहीं करवाया गया, इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरांत सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.10/– लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदायें आंमत्रित करना, मांग, अनुबन्ध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत मुल्थान के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹209763/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/193 दिनांक:–28.03.2025 द्वारा उपरोक्त दोहराई गई अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–01/2025 दिनांक:–29.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/19 से 03/21 के **पैरा–9** में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के दृष्टिगत नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस दोहराई गई अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹3.27/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मुल्थान के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि ₹327189/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

दोहराई गई इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/194 दिनांक:–28.02.

2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 / 2025 दिनांकः–29.03.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि स्टॉक प्रविष्टियों का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 19 से 03 / 21 के **पैरा–10** में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के दृष्टिगत तथ्यरहित एवं नियम प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का मदवार पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में राशि ₹5.23 लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05 / 2022 व 01 / 2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹522962 / –का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं0 / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.आर.जी. एस.ए	09 / 04. 05.2022	6332 / 14.03. 2022	निर्माण पंचायत घर सामुदायिक केन्द्र की दूसरी मजिंल वार्ड–3	43660	प्रस्ताव, प्राक्क्लन, तकनीकी स्वीकृति, माप–पुस्तिका, 34–सी
2.आर.जी. एस.ए	10 / 04. 05.2022	–	कार्य पूर्ण दुकान व सी.एस.सी मुल्थान वार्ड–3	33000	प्रस्ताव, प्राक्क्लन, माप–पुस्तिका, 34–सी
3.बी.ए.एस. पी	14,16. –18,20 / 09.05. 2022,17.	निल,858,860, 864,087 / 25. 04.2022,28. 04.22,30.04.	निर्माण एक कमरा व परीक्षा हाल जी.एस. एस.एस मुल्थान वार्ड–3	217178	प्रस्ताव, माप–पुस्तिका, 34–सी

	05.22	22,17.05.22			
4.एस.डी. आर.एफ	15 / 09. 05.2022	मस्ट्रोल –निल	निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक सेरी स्कूल मुल्थान वार्ड 1	22820	प्राक्क्लन, तकनीकी स्वीकृति, माप–पुस्तिका, 34–सी
5.14वां वित	21 / 23. 05.2022	मस्ट्रोल –निल	कार्य पूर्ण पचांयत घर मुल्थान वार्ड–2	9900	माप–पुस्तिका, 34–सी
6.मनरेगा	निल / 30. 05.2022	451,458,459 / 13.11. 2021,2.12. 21,09.12.21	निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक सेरी स्कूल मुल्थान वार्ड 1	139120	प्रस्ताव,माप–पुस्तिका
7.बी.ए.एस. पी	94,97 / 0 4.01.2024	--	निर्माण दो कमरे व सुरक्षा दीवार जी.पी. एस मुल्थान वार्ड–3	44500	प्रस्ताव ,प्राक्क्लन, तकनीकी स्वीकृति, माप–पुस्तिका, 34–सी
8.15वां वित	95 / 16. 01.2024	मस्ट्रोल –16 / 5835	मुरम्मत शौचालय जी. एस.एस.एस मुल्थान वार्ड–3	12784	माप–पुस्तिका, 34–सी
			कुल योग	**522962**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत मुल्थान से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 195 दिनांकः–28.03. 2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01 / 2025 दिनांक 29.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹7.41 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया

जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 01/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि संलग्न **"परिशिष्ट–6"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹741296/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/197 दिनांकः–29.03.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत मुल्थान के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–01/2025 दिनांकः–29.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा की भुगतान किया जा रहा है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 ऑनलाईन रोकड़ बही में ₹2.97 लाख की समायोजित(Adjustment voucher) व अन्य आय–व्यय प्रविष्टियों की बैंक में पुष्टि न होने बारे :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातों में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकड़ बही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सभा निधि की संयुक्त ऑनलाईन रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि ₹296766/– की समायोजित **(Adjustment voucher)** व अन्य प्रविष्टियां आय–व्यय के रूप में की गई दर्शाई गई थी। इन प्रविष्टियों के सम्बन्ध में पड़ताल हेतु समर्थित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए तथा इनकी बैंक पास बुक में भी पुष्टि नहीं हो पाई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है व आपतिजनक भी है:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	आय/व्यय	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि ₹
1	सभा निधि	आर/18/01.10.2022	आय	Balance Adjust Voucher	11	70048

2	सभा निधि	आर/24/28.02.2023	आय	Receive Fund	18	3523
3	सभा निधि	आर/25/28.02.2023	आय	Received to Honorarium	18	54600
4	सभा निधि	पी/23/01.12.2023	व्यय	Wages	शून्य	41970
5	सभा निधि	पी/30/04.01.2024	व्यय	Paid Hono	शून्य	126625
					कुल योग	296766

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/191 दिनांकः—26.03.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत मुल्थान के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 01/2025 दिनांकः—29.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की समायोजित व दोहरी प्रविष्टि हुई है, जिसे विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ चर्चा करने व अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा असमर्थित प्रविष्टियों से सम्बन्धित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली हेतु कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13.1 निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत/वास्तविक प्राप्त राशि से ₹4.24 लाख का अधिक भुगतान करने बारेः—

हि॰प्र॰ पँचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा व हि॰प्र॰ पँचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 44 के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यय करते समय ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से मितव्ययता बरती जाएगी।

बी.ए.एस.पी अनुदान के अंतर्गत करवाये गये निर्माण कार्य एक कमरा व परीक्षा हाल जी.एस.एस.एस मुल्थान वार्ड 3 के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण व प्रस्तुत सूचना तथा संलग्न **परिशिष्ट "7"** अनुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा इस कार्य को करवाने हेतु स्वीकृत/वास्तविक प्राप्त राशि से निम्नविवरणानुसार राशि ₹424249 का अधिक भुगतान किया

गया दर्शाया गया,जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है व उपरोक्त नियमो तथा वित नियमो की स्पष्ट अवहेलना है:–

अनुदान	वाउचर सं0 / दिनांक	रो0पृ0 स0	बिल संख्या / दिनांक	भुगतान की गई राशि (₹)	स्वीकृत राशि (₹)	वास्तविक प्राप्त राशि (₹)	कुल व्यय राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
बी.ए.एस. पी	14,16. –18,20 / 09.05. 2022,17. 05.22	04,5	निल,858,860, 864,087 / 25. 04.2022,28. 04.22,30.04. 22,17.05.22	217178	900000	450000	874249	424249

इस गम्भीर अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव ग्राम पंचायत मुल्थान को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 199 दिनांक:–29. 03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 01 / 2025 दिनांक:–29.03.2025 द्वारा आंकडो एवं तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि वास्तविक प्राप्त राशि से अधिक भुगतान किया गया, जिसकी अंतिम किस्त प्राप्ति उपरांत व अधिक भुगतान का समायोजन करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त किये गए अधिक भुगतान बारे वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हों तथा सम्बन्धित कार्य को अनुदान की राशि प्राप्ति उपरांत ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13.2 निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत / वास्तविक प्राप्त राशि से ₹0.07 / – लाख का गलत / अधिक भुगतान करने बारे:–

हि•प्र• पँचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल / वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा व हि•प्र• पँचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम

2002 के नियम 44 के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यय करते समय ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से मितव्ययता बरती जाएगी।

एस.डी.आर.एफ अनुदान के अंतर्गत करवाये गये निर्माण कार्य सुरक्षा दीवार नजदीक सेरी स्कूल मुल्थान वार्ड 2 के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण व प्रस्तुत सूचना तथा संलग्न **परिशिष्ट "8"** अनुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा इस कार्य को करवाने हेतु स्वीकृत/वास्तविक प्राप्त राशि से निम्नविवरणानुसार राशि ₹7477 का अधिक भुगतान किया गया दर्शाया गया था, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है व उपरोक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है :—

अनुदान	वाउचर सं0/मास	रो0पृ0 सं0	मस्ट्रोल	भुगतान की गई राशि (₹)	स्वीकृत राशि (₹)	वास्तविक प्राप्त राशि (₹)	कुल व्यय राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
एस.डी. आर.एफ	15/09. 05.2022	04	निल	22820	500000	490000	497477	7477

इस गम्भीर अनियमितता बारे वस्तुस्थिती स्पष्ट करने हेतु सचिव ग्राम पंचायत मुल्थान को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/192 दिनांक:—27.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—01/2025 दिनांक:—29.03.2025 द्वारा आंकडो एवं तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष के खातें में जमा करवा दी जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त किये गए गलत/अधिक भुगतान बारे वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो।

13.3 गणना की त्रुटि के कारण आपूर्तिकर्ता को राशि ₹500/— का अधिक भुगतान करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया था:—

अनुदान	वाउचर सं0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
बी.ए.एस. पी	पी/31/94/04.01.2024	मै0 प्रकाश चन्द ढेलू जोगिन्दरनगर	रेत,बजरी भाड़ा	13500 (450cft@30)	14000	500

उपरोक्त बिल में गणना की त्रुटि के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹500/— का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/197 दिनांक:— 29.03.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:— 01/2025 दिनांक:—29.03.2025 द्वारा आंकड़ो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि, उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष के खाते में जमा करवा दी जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो।

14 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएं:—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान आदेश ग्राम पंचायत के प्रधान व सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति व नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों के अभिलेख और लेखों सहित निरीक्षण करना अपेक्षित है। नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मुल्थान द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोल के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:—

1. निम्न अनुदान के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया था जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैं:–

क्र॰स॰	अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	एस.डी.आर.एफ	15/09.05.2022	निल	22820
2	14वां वित	21/23.05.2022	निल	9900
3	15 वां वित	95/16.01.2024	16/5835	12784

2. संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरों के स्थान पर केवल मस्ट्रोल पर पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे, जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त समितियों का गठन होना व उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, जबकि उक्त समितियों का नियमानुसार गठन ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया था।

3. ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया था, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4. पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त नियमों के अभाव में वितीय अनियमितताओं की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/196 दिनांक:—28.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—01/2025 दिनांक 29.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं हेतु भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाते हुये कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

15. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:—

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप--पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ति बिलों को सहायक अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

5.निर्माण कार्यों के बिलों को निर्माण समिति व सतर्कता समिति के सदस्यों के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

6.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार जब कोई भुगतान किया जाता है या कार्य को मापा जाता है, तो माप दर्ज करने वाली पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर तिरछी लाल स्याही कर रेखाएं बना दी जाएंगी और भुगतान वाउचर की संख्या का संदर्भ देते हुए लागत के सार पर पृष्ठाकन किया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/197 दिनांक:–29.03.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मुल्थान को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 01/2025

दिनांकः—29.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रपत्र—34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

16 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/184 दिनांकः 24.03.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 01/2025 दिनांकः—29.03.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

1.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37

6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
13	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	अनुदान रजिस्टर	8	34
2	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/184 दिनांकः–24.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 01/2025 दिनांकः–29.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.19 से 31.03.21 के पैरा–18 के अन्तर्गत दर्ज अंकेक्षणापत्ति उपरान्त भी सुधारात्मक कार्यवाही अमल में न लाने, नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

18.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा था। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही पूर्ण अंकेक्षण संभव हो पाया। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है।

अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान प्राप्त/खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का पूर्ण विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत मुल्थान द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत मुल्थान के चयनित मासो 05/2022 व 01/2024 के मनरेगा के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/197 दिनांकः–29.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 01/2025 दिनांकः–29.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से उक्त अनियमितता से सम्बन्धित नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022–23 व 2023–24 में चयनित मासो 05/2022 व 01/2024 के मनरेगा व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18.4 पंचायत सदस्य को मस्ट्रोल तथा मीटिंग का दोहरा भुगतान करने बारेः–

चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत सदस्य को निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल तथा मीटिंग का दोहरा भुगतान किया गया थाः–

क्र0सं0	पंचायत सदस्य	मीटिंग/मस्ट्रोल दिनांक जिसका भुगतान किया गया	मस्ट्रोल संख्या	राशि जिसकी वसूली की गई(₹)
1	डिम्पल कुमारी	26.12.2023	4332	240

उक्त राशि की वसूली करने उपरांत हिमाचल प्रदेश ग्रामीण रोजगार गांरटी सोयायटी अध्यक्ष के खाता सख्या 4193000100031015 ,पी.एन.बैंक शिमला में दिनांक 27.03.2025 को जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

19 **लघु आपति विवरणिका**:– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

20 **निष्कर्ष**:– लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

3340 - 3344 का0/प्रति
06 JUN 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)303/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत मुल्थान, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

का0/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

ANNEXURE -1(पैरा संख्या -4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP MULTHAN BLOCK BAIJNATH KANGRA(H.P)-175013 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES(5TH SFC/BASP/RGSA/LADA/SDRF/VKVNY)

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	667757.31	1824496.00	2492253.31	1980058.21	512195.10
2023-24	512195.10	1650525.88	2162720.98	1382374.00	780346.98

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2564250.25	2669373.90	5233624.15	2351418.18	2882205.97
2023-24	2882205.97	2615474.40	5497680.37	3080576.40	2417103.97

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Baijnath
Distt. Kangra (H.P.)

28

ANNEXURE -2(पैरा संख्या - "6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP MULTHAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	BASP	2022-23	272255.00	0.00	272255.00	0.00	272255.00
		2023-24	272255.00	0.00	272255.00	0.00	272255.00
2	13TH FC	2022-23	336264.00	0.00	336264.00	0.00	336264.00
		2023-24	336264.00	0.00	336264.00	0.00	336264.00
3	14TH FC	2022-23	982658.25	2640.00	985298.25	245345.28	739952.97
		2023-24	739952.97	0.00	739952.97	0.00	739952.97
4	15TH FC/ZP/PS	2022-23	973073.00	796682.00	1769755.00	236021.00	1533734.00
		2023-24	1533734.00	821886.00	2355620.00	1286988.00	1068632.00
5	MGNREGA	2022-23	0.00	1870051.90	1870051.90	1870051.90	0.00
		2023-24	0.00	1793588.40	1793588.40	1793588.40	0.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Baijnath
Distt. Kangra (H.P.)

29

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या "4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत मुल्थान विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.175013

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत मुल्थान के दिनांक 01-04-2022 व 01-03-2024 को बैंक शेष:-

क्र.सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2022 को	बैंक शेष 31- 03 -2024 को
01	स्वयं सत्रोत/ पांचवा वित्/ एस .डी.आर.एफ/आर.जी.एस.ए/लाडा /वी.के.वी.एन.वाई/बी.ए.एस.पी.	पी.एन.बैंक मुल्थान	2458000100001100	479178.31	998460.26
02	स्वयं सत्रोत	के. सी .सी. बैंक बैजनाथ	20016007851	545219.97	391965.97
03	14वां वितायोग	एच.जी. बैंक बरोट	87411700074393	241895.28	0
04	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	एच.जी. बैंक बरोट	87410100060909	974565.00	1077152
05	हस्त गत शेष दिनांक 31.03.2024 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			20	20
			कुल योग	2240878.56	2467598.23

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Baijnath
Distt. Kangra (H.P.)

हस्ताक्षर
दिनांक...............

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत मुल्थान विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.-175013

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत मुल्थान में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 430 व 2023-24 में 445 परिवारों में सभी परिवारों से 50/- रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2022-23	49900	430	50	21500	71400	33750	37650
2023-24	37650	445	50	22250	59900	38100	21800

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Baijnath
Distt. Kangra (H.P.)

हस्ताक्षर Dugah
दिनांक..........

परिशिष्ट–5(पैरा संख्या –"8")

कार्यालय ग्राम पंचायत मुल्थान विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 175013

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि:–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022–23	425

हस्ताक्षर Rugesh
दिनांक........

32

ग्राम पंचायत मुल्थान विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना व स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व संयुक्त हस्ताक्षर किये बिना ही भुगतान करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.RGSA	09/04.06.2022	Shuttering(sqf)(sqf)	6332/14.03.2022	M/s Surat Enterprises Barot Padher	1850	23.6	43660	Quatation ,Joint Signature
2.RGSA	10/4.05.2022	Sariya Bandhna &lanter(sqf)		M/s Bablu Choudhry Khera Tola	1100	30	33000	Quatation ,Joint Signature
3.BASP	20/17.05.22	Window(feet)	087/17.05.2022	M/s DK Timber Joinery Multhan Deot	172	324.5	55814	Quatation ,Joint Signature
		Door(feet)(Inc. GST)			72	324.5	23364	
4.14TH FC	11/05.05.2022	Plastic Chair(Inc.GST)	8219/01.05.2022	M/s DK Maini Electronic New Bus stand Palmpur	100	390	39000	Stock Entry ,Joint Signature
5.14TH FC	11/05.05.2022	Visitor Chair(Inc.GST)	8223/02.05.2022	M/s DK Maini Electronic New Bus stand Palmpur	8	1600	12800	Stock Entry ,Joint Signature
		Revolving Chair(Inc.GST)			1	8000	8000	
614TH FC	12/5.5.2022	Durian Setti 5 Seater	1571/02.05.2022	M/s Jai Ambey Steel Industries Atra Palmpur	1	45000	45000	Stock Entry ,Joint Signature
7.NREGAS	NIL/30.05.2022	SAND	451/13.11.2021	M/s Ram Lal Khadi Malah Lohardi	450	73	32850	Stock Entry ,Joint Signature
8.NREGA	NIL/30.05.2022	Bazri	458,459/02,12.09.2021	M/s Ram Lal Khadi Malah Lohardi	740	67	49580	Stock Entry ,Joint Signature
		Bazri			740	67	49580	
9.NREGA	NIL/31.05.2022	Cement Bags	128137/19.09.2022	HPCS Barot	102	375.96	38347.92	Stock Entry ,Joint Signature
10.NREGA	NIL/31.05.2022	Sign Board	456/08.02.2022	M/s Ram Lal Khadi Malah Lohardi	3	2500.00	7500.00	Stock Entry ,Joint Signature
11.NREGA	NIL/30.05.2022	Sign Board	455/08.02.2022	M/s Ram Lal Khadi Malah Lohardi	6	2500.00	15000.00	Stock Entry ,Joint Signature
12.NREGA	NIL/30.05.2022	Sign Board	454/08.02.2022	M/s Ram Lal Khadi Malah Lohardi	7	2500.00	17500.00	Stock Entry ,Joint Signature
13.NREGA	NIL/31.05.2022	Cement Bags	128142/19.09.2022	HPCS Barot	32	375.96	12030.72	Stock Entry ,Joint Signature
14.BASP	94/04.01.2024	Sand ,Agg Ciarriage(cft)	—	M/s Prakash Chand Dhelu Joiginder Nagar	450	30	13500	Quatation ,Joint Signature
		Boulder Ciarriage (cft)			350	30	10500	
15.TH FC	96/16.01.2024	Cement Bags Ciarriage	8954/26.12.2023	M/s Surat Enterprises Barot Padher	397	25	9925	Quatation ,Joint Signature
16.15TH FC	95/16.01.2024	Labour Wages	Mustrol-16				12784.00	Joint Signature
17.BASP	97/24.01.2024	Carriage of Goods(cft)		M/s Thakur Dass Deot	400	50	20000	Quatation ,Joint Signature
18.15TH FC	21/23.05.2022	Labour Wages	Mustrol-Nil				9900.00	Joint Signature
19.BASP	14/09.05.2022	Brick , Sand Carriage		M/s Thakur Dass Deot			25500.00	Joint Signature
19.BASP	16-18/09.05.2022	Brick	858,860,864/25,28,30.04.2022	M/s Bhagwati General Store Multhan	10000	11.25	112500	Joint Signature
20.RGSA	09/04.05.2022	Shuttering(sqf)(sqf)	6332/14.03.2022	M/s Surat Enterprises Barot Padher	1850	23.6	43660	Joint Signature
						G/Total	741295.64	

नोट:- 1. क्रम संख्या – 1 से 3, 14, 15 व 17 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया।
2. क्रम संख्या 4 से 13 तक की स्टॉक प्रविष्टियों का इन्द्राज नहीं किया गया।
3. क्रम संख्या 1 से 20 तक संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया।

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Baijnath
Distt. Kangra (H.P.)

33

परिशिष्ट -"7" (पैरा संख्या -"13.1")

GRAM PANCHYAT MULTHAN ,DEV. BLOCK BAIJNATH - 175013

S.NO	HEAD	NAME OF Work	Sanction Amount	Actual Receipt & Date	Receipt Date	Voucher NO.	Vendor Name	Voucher Payment Date	Paid Amount	Less Grant Received But Paid More
1	BASP	C/O ONE ROOM AND EXAMINATION HALL GOVT. SEN.SCHOOL MULTHAN (WARD NO. 03)	900000	450000.00	06-05-2022	----	----	----	----	424249.00
2					----	14	Thakur Dass,Deyot	09-05-2022	25500.0	
3					----	16 to 18	Bhagwati , Multhan	09-05-2022	112500.0	
4					----	20	DK Timber ,Multhan	17-05-2022	79178.0	
5					----	24	Civil Supply Barot	24-06-2022	22558.0	
6					----	25	Sanjay Kumar,Uldhar	12-07-2022	1800.0	
7					----	28	Labour	04-08-2022	60088.0	
8					----	34	Akshay Kumar ,Deyot	26-09-2022	6000.0	
9					----	36	Surat ,Barot	01-10-2022	219531.0	
10					----	38	Sunil Kumar, Seri	07-10-2022	3000.0	
11					----	41	Ramlal ,Lohardi	28-10-2022	27650.0	
12					----	42	Surat Barot	17-11-2022	255544.0	
13					----	56	Labour	16-02-2023	60900.0	
		Total	900000.00	450000.00					874249.00	424249.00

Multhan

34

परिशिष्ट—"8" (पैरा संख्या—"13.2")

GRAM PANCHYAT MULTHAN ,DEV. BLOCK BAIJNATH - 175013

S.NO	HEAD	NAME OF Work	Sanction Amount	Actual Receipt & Date	Receipt Date	Voucher NO.	Vendor Name	Voucher Payment Date	Paid Amount	Acess Paid
1	SDRF	C/O PROTECTION WALL NEAR SERI SCHOOL WARD NO.02	500000	300000.00	16-07-2021	----	----	----	----	7477.00
2				---	----	54	Civil Supply	14-12-2021	70392.0	
3				---	----	54	Sanjay Kumar	14-12-2021	6600.0	
4				---	----	59	Inder	27-01-2022	840.0	
5				---	----	62	Ramlal	02-02-2022	40150.0	
6				---	----	63	Ramlal	02-02-2022	46900.0	
7				---	----	64	Ramlal	02-02-2022	36500.0	
8				---	----	65	Ramlal	02-02-2022	46900.0	
9				---	----	66	Ramlal	02-02-2022	40200.0	
10				---	----	73	Surat	14-02-2022	33040.0	
11				---	----	74	Civil Supply	15-02-2022	9599.0	
12				---	----	74	Sanjay Kumar	15-02-2022	900.0	
13				---	----	81	Labour	14-03-2022	101236.0	
14				---	----	91	Ramlal	30-03-2022	7300.0	
15				---	----	92	Ramlal	30-03-2022	13400.0	
16				---	----	92	Ramlal	30-03-2022	20700.0	
17				---	----	15	Labour	09-05-2022	22820.0	
18				190000.00	29-04-2025					
		Total	500000.00	490000.00					497477.00	7477.00

Multhan

35